पत्रांक 15/एम 1–128/2014–1776

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,

निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव, पटना विश्वविद्यालय, पटना।

कुलसचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

कुलसचिव, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना।

कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।

निदेशक, ललित नारायण आर्थिक विकास एवं
सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक 09/9/2014

विषयः– मानवाधिकार विषय पर राज्य के जनमानस को जागरूक करने हेतु छात्र–छात्राओं का चयन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1160 दिनांक 19.06.2014 एवं विभगीय पत्रांक 1466 दिनांक 30.07.2014 का निदेश किया जाय। विषयांकित मामले में पटना ट्रेनिंग कॉलेज को छोड़कर किसी भी संस्थाओं से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त नही है। अंकनीय है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 17.07.2014 को आहूत बैठक में माह अगस्त 2014 के तृतीय सप्ताह में पटना विधि महाविद्यालय में चयनित छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। ध्यातव्य हो कि प्रथम चरण में पटना में अवस्थित सभी प्रमुख महाविद्यालयों (विधि महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय, प्रबंधन महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय सहित) से 300 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। चयनित विद्यार्थियों को मानवाधिकार विषय पर जागरूकता के निमित Capsule Course के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। ये विद्यार्थी जिलों में भ्रमण कर इस विषय पर लोगों को जागरूक करेंगे। विद्यार्थियों में न्यूनतम 50 प्रतिशत छात्राएँ होंगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का शीघ्र चयन किया जाए तथा उनकी सूची विभाग में अविलम्ब प्रेषित की जाए, ताकि उसे पटना विधि महाविद्यालय को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भेजा जा सके।

विश्वासभाजन,

Karim 9/9/14

(एस0 एम0 करीम)

निदेशक (उच्च शिक्षा)

[redacted]

Hindi letter 2014